कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्योपुर (म.प्र.)

क्रमांक / एस.डब्ल्यू / 2020 / 3838 श्योपुर, दिनांक 27.04.2020

संशोधित आदेश

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / एस.डब्ल्यू. / 2020 / 3122 श्योपुर दिनांक 10.04.2020 द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की वृद्धि को नियंत्रण करने एवं इससे आवश्यक बचाव के उपाय किये जाने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये सम्पूर्ण श्योपुर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, तथा समय समय पर आवश्यक संशोधन कर छूट प्रदान करते हुए आदेश किये गये है।

भारत सरकार गृह मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्गत आदेश कमांक 40-03 / 2020-DM-I (A) नई दिल्ली दिनांक 15 अप्रैल 2020 के कम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / एस.डब्ल्यू. / 2020 / 3122 श्योपुर दिनांक 10.04.2020 में किये गये संशोधनो का यथावत रखते हुए उक्त आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

1. जिला श्योपुर में कन्टेन्मेंट ऐरिया पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
2. किराना दुकान, प्रीपेड मोबाईल के लिए रिचार्ज की दुकान एवं रस्सी बोरा की दुकान, प्रातः 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक कस्बा श्योपुर के मुख्य बाजार (जयस्तम्भ से किला रोड तक, टोढी गणेश बाजार, बोहरा बाजार, चूडी बाजार) को छोडकर खोली जा सकेगी।
3. इसी प्रकार जिला श्योपुर में प्रातः 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक समर्सिबल पंप एवं पार्टस, वाहन स्पेयर पार्टस, कृषि उपकरण, पशु आहार, पशु चारा, की दुकाने मुख्य बाजार में भी खोली जा सकेगी।
4. इसके अतिरिक्त कन्टेन्मेंट ऐरिया को छोडकर सम्पूर्ण जिला श्योपुर में दुध की दुकान, आटा चक्की, पंचर की दुकान प्रातः 07.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक खोली जा सकेंगी।
5. कस्बा श्योपुर में फल, सब्जी विकय ठेलों के माध्यम से पूर्व भांति संचालित रहेगा।

यह आदेश कंटेन्मेन्ट ऐरिया पर लागू नहीं होगा। शेष आदेश यथावत रहेगा। यह आदेश पूर्व आदेश का भाग रहेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।

(प्रतिभा पाल)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृष्ठा. क्रमांक / एस.डब्ल्यू. / 2020 / 3839 श्योपुर दिनांक 27.04.2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त चंबल संभाग मुरैना।
3. पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन मुरैना।
4. पुलिस अधीक्षक श्योपुर।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्योपुर।
6. अपर कलेक्टर जिला श्योपुर।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्योपुर / विजयपुर / कराहल।
8. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्योपुर / बड़ौदा / विजयपुर।
9. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसील श्योपुर / विजयपुर / कराहल / वीरपुर / बड़ौदा।
10. मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्योपुर / बड़ौदा / विजयपुर की आदेश की मुनादी कराये जाने हेतु।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्योपुर / विजयपुर / कराहल की ओर आदेश की मुनादी कराये जाने हेतु।
12. समस्त थाना प्रभारी ....जिला श्योपुर की ओर सूचनार्थ।
13. प्रभारी अधिकारी पुलिस कन्ट्रोल रूम श्योपुर।
14. जिला जनम्पर्क अधिकारी श्योपुर की ओर प्रचार प्रसार हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला श्योपुर (म.प्र.)

CS Scanned with CamScanner